



# OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को ०३ वर्ष का कारावास एवं १२५०० रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना हैं कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ गाली गलौच, मारपीट, छेडछाड करना व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में दिनांक २५.१०.२०२२ को थाना गंज पर मु०अ०सं०- ३२८/२२ धारा- ३५४६,३२३,३४१,५०६ भादवि व ८ पॉक्सो एक्ट बनाम साबिर पुत्र रियासत खां निवासी सैजनी नानकार थाना गंज, रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक- २२.१०.२०२४ को मा० न्यायालय ADJ- ८ रामपुर द्वारा अभि० साबिर पुत्र रियासत खां उपरोक्त को ०३ वर्ष का कारावास एवं १२५०० रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त साबिर पुत्र रियासत खां निवासी सैजनी नानकार थाना गंज, रामपुर को ०३ वर्ष का कारावास एवं १२५०० रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@rampurpolice

7839859826



# OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को ०१ हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना हैं कि अभियुक्त द्वारा राजकीय नलकूप से मोटर व ३०० मीटर तार चोरी करने के संबंध में दिनांक २५.०२.२००१ को थाना शाहबाद पर मु०अ०सं०- ५५/०१ धारा- ३७९/४११ भादवि बनाम धर्मपाल पुत्र जीराज निवासी करैभी का मझरा थाना शाहबाद , रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक- २२.१०.२०२४ को मा० न्यायालय ACJM- १, रामपुर द्वारा अभि० धर्मपाल पुत्र जीराज उपरोक्त को ०१ हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त धर्मपाल पुत्र जीराज निवासी करैभी का मझरा थाना शाहबाद , रामपुर को ०१ हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@rampurpolice

7839859826



# OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना हैं कि अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ अश्लील हरकत कर दुष्कर्म करने का प्रयास करना, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, जान से मारने का धमकी देने के संबंध में दिनांक 21.12.2021 को थाना मिलक पर मु०अ०सं०- 499/21 धारा- 376/511,506 भादवि व 3(2)SC/ST एक्ट बनाम सोनू पुत्र ओमवीर नि० गुलडिया खुर्द थाना मिलक, रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक- 22.10.2024 को मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट, रामपुर द्वारा अभि० सोनू पुत्र ओमवीर उपरोक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त सोनू पुत्र ओमवीर नि० गुलडिया खुर्द थाना मिलक, रामपुर को 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@rampurpolice

7839859826